भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या .2769

जिसका उत्तर सोमवार),मार्च 21 ,2022 /फाल्गुन 30, 1943 (शक(को दिया गया (

सीएसआर परितंत्र को सशक्त करना

2769. :श्री विजय बघेल

मोहम्मद बशीरः .टी.श्री ई

श्री अरूण सावः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

के लिए वर्तमान में अनुमोदित कारपोरेट (पीएसयू) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (क) संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है (सीएसआर) सामाजिक दायित्व;

क्या सरकार ने पीएसयू तथा अन्य कंपनियों द्वारा अपने स (ख)ीएसआर दायित्वों का प्रकटन करने और उनका अनुपालन सुकर बनाने हेतु सीएसआर परितंत्र को सशक्त करने की दृष्टि से कोई कदम उठाए हैं; और

तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्य योजना है ,यदि हां (ग)?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया गया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) सहित सभी कंपनियों पर लागू हैं जिनकी तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या अधिक है, कुल टर्नओवर 1000 करोड़ रूपये या अधिक है, या निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक है।

इसके अतिरिक्त, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वह वित्तीय वर्ष 2018-19 से सीपीएसई द्वारा प्रत्येक वर्ष सीएसआर व्यय पर विषय आधारित संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने

के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) को दिशानिर्देश जारी कर रहा है। इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे विषयक कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर आय का लगभग 60% होना चाहिए तथा राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था (नीति) आयोग द्वारा चिन्हित आकांशापूर्ण जिलों को सीएसआर व्यय में वरीयता दी जाए।

(ख) और (ग): इस अधिनियम के तहत सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर का ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फाइल करना आवश्यक है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर से संबंधित फाइल किया गया समस्त डाटा कंपनी-वार और पीएसयू सहित, पब्लिक डोमेन www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 135 को कपंनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 और कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के द्वारा संशोधित किया गया था। इन संशोधनों में अव्ययित सीएसआर राशि के अंतरण का प्रावधान किया गया है और 22 जनवरी, 2021 से सीएसआर प्रावधानों के गैर-अनुपालन को सिविल दोष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 को भी संशोधित किया गया था जिसके द्वारा सीएसआर ईकोसिस्टम को अधिक उद्देश्यपरक, पारदर्शी बनाकर, बोर्ड पर अधिक जवाबदेह बनाकर और कंपनियों द्वारा प्रकटीकरण को बढावा देने के माध्यम से सुदृढ़ बनाया गया है।

*****